

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 87/आवंटन/

पटना, दिनांक 8.1.19

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 20/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,  
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

विषय :-

उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र),  
हस्तकरघा सघन विकास योजना, भागलपुर  
मुख्यशीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-108-बिजलीकरघा  
उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0101-विद्युतकरघा योजना, विपत्र कोड-  
23-2851.00.108.0101, विषय शीर्ष 0101.33.01-सब्सिडी मद से वित्तीय वर्ष  
2018-19 में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजना "पावरटेक्स इंडिया" से आच्छादित  
**In-situ upgradation of plain powerloom scheme** के अन्तर्गत प्लेन विद्युत  
करघा में परिवर्तित करने हेतु रू० 3,76,200/- तथा सार्वभौमिक बीमा कवरेज योजना  
हेतु रू० 2,08,000/- अर्थात् कुल रू० 5,84,200/- (पाँच लाख चौरासी हजार दो सौ  
रूपये) मात्र राज्य सरकार के अनुदान की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 112 दि० 07.01.2019 के आलोक  
में विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू० 5,84,200/- (पाँच लाख चौरासी  
हजार दो सौ रूपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2

इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना आय-व्ययक शीर्ष 2851-ग्राम तथा  
लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-108-बिजलीकरघा उद्योग, मांग संख्या-23,  
उपशीर्ष-0101-विद्युतकरघा योजना, विपत्र कोड-23-2851.00.108.0101, विषय शीर्ष  
3301-सब्सिडी मद से विकलित होगा।

3

राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 एवं समय-समय  
पर निर्गत आदेश के आलोक में की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन  
सुनिश्चित किया जाय।

4

राशि को निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा  
तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम  
475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में  
प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(ग) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

5

व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप  
से उपलब्ध करा दें।

6

उक्त आवंटित राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।


7

राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

8

आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 112 दिनांक 07.01.2019 में निहित निर्देश  
के अनुरूप किया जाए।

विश्वासभाजन




उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक 87/आवंटन/

पटना, दिनांक 8.1.19

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 8.1.19

ज्ञापांक 87/आवंटन/

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/उप सचिव, ऊर्जा विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/जिला पदाधिकारी भागलपुर/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0-डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/ प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/वस्त्र आयुक्त, निष्ठा भवन, 48, न्यू मैरिन लाईस, मुम्बई-400020/पावरलूम सेवा केन्द्र, भागलपुर/उप निदेशक, टेक्सटाईल कमिश्नर का क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।